

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2017-18

दूरभाष संख्या: 06565-247306

ईमेल dlsalatehar@gmail.com

लातेहार जिला अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न प्रकार की सामग्रियां क्रय करने हेतु प्रति ईकाई दर पर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

निविदा जमा करने का स्थान:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार ।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:-24.02.2018 अपराह्न 01:00 बजे तक

निविदा खोलने का स्थान:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार ।

निविदा खोलने की तिथि:-दिनांक 24.02.2018 को अपराह्न 2:00 बजे

Sl. No.	Item	Quantity	Rate
1.	Desktop Computer Optiplex 3050MT Make- Dell / HP/LENOVO Core i3-6100/4GB/1TB /Windows 10/9.5" LED/Key board+ Optical Mouse	05 Pcs	Per pc
2.	1. Laserjet Multifunctional Printer Model : 4750 (SCAN/COPY/PRINT/FAX Make - XEROX 2. 1. Laserjet Multifunctional Printer Model : 4750 (SCAN/COPY/PRINT/FAX Make - Canon 3. 1. Laserjet Multifunctional Printer Model : 4750 (SCAN/COPY/PRINT/FAX Make - HP	05 Pcs	Per pc
3.	1. UPS 600 VA offline Make - Zebronic 2. UPS 600 VA offline Make - Microtek	05 Pcs	Per pc

निविदा की शर्तें

1. निविदा दाता के द्वारा अलग-अलग लिफाफा में तकनीकी भाग तकनीकी निविदा के लिफाफे में फर्म एवं प्राधिकृत विक्रेता के द्वारा अग्रधन की राशि, अद्यतन आयकर रिटर्न, G.S.T. रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। अन्यथा तकनीकी बीड को रद्द कर दिया जायेगा तथा वित्तीय भाग में सभी सामानों का दर प्रति अदद समर्पित किया जायेगा। तकनीकी भाग खोलने के उपरांत सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में वित्तीय भाग खोला जायेगा।

2. निविदा दाता के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर गठित निविदा कमिटी व्यवहार न्यायालय, लातेहार के समक्ष निविदा का निस्तारण किया जायेगा। उक्त वक्त निविदा कर्त्ता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

3. निविदा दाता को उक्त सामग्री के आपूर्ति में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव होने का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

4. निविदा दाता को नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें निविदादाता के द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि उनके प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

5. सामग्री के दर में सभी प्रकार के कर यथा G.S.T एवं परिवहन व्यय आदि सम्मिलित कर सामग्रियों का दर प्रति अदद सभी मिलाकर अंकित करना होगा। अलग से किसी भी प्रकार का कर या राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. सफल निविदा दाता के द्वारा आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत सभी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

7. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने या स्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

8. निविदा दाता को संबंधित कंपनी का प्राधिकृत एजेंसी होने का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

9. निविदा दाताओं को G.S.T के अंतर्गत निबंधित होना आवश्यक है। जिन निविदा दाताओं का निबंधन झारखण्ड राज्य में नहीं है उन्हें इस आशय का एक Undertaking अपने Letter Head पर देना अनिवार्य होगा की निविदा में सफल पाये जाने पर झारखण्ड राज्य के वाणिज्य-कर विभाग में निबंधन कराने के पश्चात् ही भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करेंगे।

10. निविदा दाताओं को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रुपये **30,000/-** मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एन0एस0सी0, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।

11. अग्रधन के रूप में जमा राशि निविदा की समाप्तीकरण के पश्चात् असफल निविदा दाताओं को वापस कर दी जायेगी।

12. आपूर्ति आदेश का उल्लंघन होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

13. निविदा समिति को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार रहेगा।

नोट : (1) कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट/कार्यालय से संपर्क कर इस कार्य हेतु लागू किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है या व्यवहार न्यायालय लातेहार के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/latehar पर देखा जा सकता है।

ह0/-

(विष्णु कान्त सहाय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश –सह-
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार